प्रेषक,

सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट,
भूगर्भ जल विभाग, तृतीय तल,
सर्वोदयनगर, विकास भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
पिंटेल रियल्टी डेवलपर्स प्राइवेट लि0,
(Formerly Known as Arindam shekhar Garments Marketing pvt.ltd)।
एल्डिको कारपोरेशन, 7 वां तल, विभुति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

पत्रांकः– 178 /भू0ज0वि0/एन0ओ0सी0, दिनांक लखनऊ, जुलाई, 05 ,2017

विषयः– अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र दिनांक 28–06–2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपने शासनादेश सं0–436/62–1–2004–863/98, दिनांक 25–05–2014 में दिये गये निहित प्राविधानों के अनुसार पिंटेल रियल्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भवन निर्मिण, पीने का पानी एवं अन्य उपयोग हेतु निर्धारित धनराशि रू0 5,000/–ट्रेजरी चालान फार्म द्वारा शासकीय कोषागार, लखनऊ में जमा कराकर उसकी मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करते हुए अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबंध में आप द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के अनुसार पिंटेल रियल्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में भवन निर्मिण एवं अन्य उपयोग हेतु लगभग 1.34 MLD प्रतिदिन छः बोरवेल द्वारा भूजल दोहन किया जायेगा। भूजल संसाधन आंकलन 31–03–2013 के अनुसार जनपद–लखनऊ का विकासखण्ड–मोहनलालगंज सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत है।

जिसके दृष्टिगत भूजल दोहन की अनुमति शासनादेश सं0–436/62–1–2004–863/98, दिनांक 25–05–2004 के प्रस्तर में दिये गये निदेशों के क्रम में पिंटेल रियल्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को उनके प्रस्ताव के क्रम में एतद्द्वारा निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1–भूजल स्तर के नियमित अनुश्रवण हेतु पिंटेल रियल्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वंय की लागत पर एक पीजोमीटर (डिजिटल वाटर लेवल रिकार्ड सहित) की स्थापना, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 के शासन के शासनादेश सं0–2529/55पर्या/04, दिनांक 20–12–2004 में किये गये प्राविधान के अनुसार की जायेगी।

2–वर्ष में दो बार(प्री मानसून तथा पोस्ट मानसून काल में) भूजल स्तर एवं भूजल गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जायेगा तथा आंकडे भूगर्भ जल विभाग, निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे।

3–नलकूप द्वारा भूजल दोहन की मात्रा ज्ञात करने हेतु पिंटेल रियल्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वाटर मीटर लगाया जायेगा तथा प्रतिमाह में कुल भूजल दोहन की मात्रा आंकलित किया जायेगा, संबंधित सूचना भूगर्भ जल विभाग को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

4– परिसर में जल बचत/संरक्षण के सामान्य उपकरण अपनाये जायेगें।

5–उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र दो वर्ष के लिए मान्य होगा।

यदि उक्त शर्ते पूर्ण नहीं की गयी तो अनापत्ति प्रमााण–पत्र स्वतः निरस्त समक्षा जायेगा।

भवदीय,

(रविकान्त सिंह)
सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट।